उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–4
संख्या–सा0–303/2020–का–4–2020
लखनऊ:: दिनांक:: 23 मई, 2020

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषयः– कार्मिक संगठनों द्वारा किये जा रहे विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने की सम्भावनाओं से संबंधित।

महोदय,

वर्तमान में वैश्विक महामारी COVID-19 से पूरा प्रदेश प्रभावित है। राज्य सरकार इसके प्रबन्धन में जीजान से लगी है। ऐसे में सभी कार्मिकों से इसके प्रबन्धन कार्य में अपना पूरा योगदान दिया जाना अपेक्षित है। विभिन्न समाचार–पत्रों के माध्यम से यह तथ्य संज्ञान में आ रहा है कि कतिपय कार्मिक संगठन सरकार के कुछ निर्णयों का विरोध करने की योजना बना रहे हैं।

2– इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने–अपने विभागों से संबंधित संगठनों के साथ बैठक कर सरकार के निर्णयों के बारे में समझायें तथा इसका समाधान करायें। यदि उसके उपरान्त भी कतिपय संगठन ऐसा विरोध की योजना बनाते हैं या विरोध करते हैं तो इससे COVID-19 महामारी के रोकथाम की कार्यवाही प्रभावित होती है, जो न केवल अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है परन्तु यह एपीडेमिक एक्ट तथा NDM Act के अधीन दण्डनीय अपराध भी है। कृपया ऐसे संगठनों एवं उनके पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए उनकी सूची (नाम, पदनाम, विभाग/संगठन का नाम एवं मोबाइल फोन संख्या एवं उनके विरोध का तरीका) से दिनांक 27.05.2020 को कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(मुकुल सिंहल)
अपर मुख्य सचिव।

[hosted at sacw.net archive]